(7) मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के पयालीखंड-बेहरादीह-कोडोमाले क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश के मद्दुर किम्बरलाइट प्रांत में किम्बरलाइट शैल, जो हीरों का शैल है, का पता चला है।

(8) उड़ीसा में 20% कट आफ ग्रेड का 7.34 मिलियन टन मैग्नीज अयस्क और मध्य प्रदेश में मध्यम ग्रेड का 2.17 मिलियन टन मैग्नीज अयस्क।

(9) अनुमान है कि लिलांग घाटी, मेघालय में उच्च ग्रेड के 2265 मिलियन टन चूना-पत्थर भंडार हैं।

(10) तमिलनाडु में 3.38 मिलियन टन (0.05% से 0.116% एम ओ) मोलिब्डेनम अयस्क

(11) उमपार्था, मेघालय में सूचित किए गए आधारभूत खनिजीकरण का विस्तार।

(ग) खनिज गवेषण एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष खनिज अन्वेषण का कार्य करता है।

(घ) खनिज नीति के उदारीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों/निजी क्षेत्रों को सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार खनिजों का गवेषण करने की अनुमति दी गई है।

Policy formulation for development of SSI units during the 9th Plan

1672. SHRI TARA CHARAN MAJUMDAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to take policy decisions for the development of small scale industrial units in the country in the Ninth Plan;

(b) if so, the details thereof with the objectives;

(c) whether Government also propose to make a code of conduct for sub-contracting, promotion of sub-contracting exchanges through systematic information on SSI capabilities etc.; and

(d) if so, the details thereof with other provisions to be made?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Necessary changes in policies and programmes for the development of Small Scale Industrial units in the country are a continuous process. The 9th Five Year Plan is yet to be finalised and clear picture will emerge only after the finalisation of the strategies in the 9th Plan.

(c) and (d) Sub-Group on Ancillary & Sub-contracting of the Working Group on Small Scale Industries for the Ninth Five Year Plan (1997-2002) has suggested on the need for developing a national Code of conduct for promoting sub-Contracting in the SSI Sector. No decision has, however, been taken on this as Ninth Plan is yet to be finalised.

भारत में विदेशी उपक्रमों द्वारा निवेश

1673. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद कितने विदेशी उपक्रमों को भारत से निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है और रुपयों में कितनी राशि की अनुमति दी गई है;

(ख) इसमें से कितनी राशि का निवेश उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन हेतु किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इससे भारत के कुटीर और लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वर्तमान सरकार द्वारा 30.9.96 तक कुल 760 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं जिनमें 15167.77 करोड़ रुपये के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना है, अनुमोदित किया गया है।

उपर्युक्त अवधि के लिए अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्रीय-वार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 179 अनुपत्र सं० 36] इसमें उपभोक्ता वस्तुओं सहित सभी क्षेत्रों के आंकड़े शामिल हैं।

(ग) लघु क्षेत्र के लिए 836 मदों के आरक्षण हेतु प्रावधान है। यदि कोई औद्योगिक इकाई लघु क्षेत्र में नहीं है और वह लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का